सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या **571** राँची, गुरुवार

14 कार्तिक, 1937 (श०)

5 नवम्बर, 2015 (ई०)

उद्योग विभाग

अधिसूचना

28 अक्टूबर, 2015

संख्या-3322--राज्य में फीड प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए झारखण्ड फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति-2015 की योजना संकल्प ज्ञापांक 2689, दिनांक 1 सितम्बर, 2015 के द्वारा अधिसूचित की गयी है । उक्त नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (State Level Empowered Committee) का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

1. मुख्य सचिव] झारखण्ड] राँची - अध्यक्ष
2. विकास आयुक्त] झारखण्ड] राँची - सह-अध्यक्ष
3. प्रधान सचिव/सचिव] उद्योग विभाग] झारखण्ड] राँची - सदस्य
4. प्रधान सचिव/सचिव] स्वास्थ्य] चिकित्सा] शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग] झारखण्ड] राँची - सदस्य
5. प्रधान सचिव/सचिव] कृषि] पशुपालन एवं सहकारिता विभाग] झारखण्ड] राँची - सदस्य
6. प्रधान सचिव/सचिव] वन एवं पर्यावरण विभाग] झारखण्ड] राँची - सदस्य
7. प्रधान सचिव/सचिव] योजना-सह-वित्त विभाग] झारखण्ड] राँची - सदस्य
8. अध्यक्ष] झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद] राँची - सदस्य
9. सिडबी के प्रतिनिधि] झारखण्ड] राँची - सदस्य
10. नाबार्ड के प्रतिनिधि] झारखण्ड] राँची - सदस्य
11. संयोजक] राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (बैंक ऑफ इण्डिया) झारखण्ड] राँची -सदस्य

12. मे0 प्रदान] राँची - सदस्य

13. श्री राजकुमार केडिया] फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज राँची - सदस्य

14. निदेशक उद्योग] झारखण्ड] राँची - सदस्य सचिव

2. क) राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा राज्य में फीड प्रसंस्करण उद्योगों के प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृत करने की शक्ति का निर्धारण करने पर निर्णय लेगी ।

ख) यह समिति फीड प्रसंस्करण उद्योग की योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा एवं स्वीकृति हेतु उप समिति/पदाधिकारों को प्राधिकृत करने, वित्तीय शक्तियों एवं प्रक्रिया का निर्धारण करेगी ।

ग) राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के द्वारा समय-समय पर झारखण्ड फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2015 को राज्य में लागू किए जाने संबंधी निगरानी, समीक्षा एवं मूल्यांकन कर सकेगी ।

3. इस समिति के द्वारा आवेदकों को विमुक्त अनुदान के गलत उपयोग के मामले में अनुदान की वापसी एवं वसूली का अधिकार निम्नांकित स्थितियों में होगा:-

क) यदि परियोजना की निर्धारित अवधि अथवा विस्तारित अवधि में भी पूर्ण नहीं की जाती है ।

ख) यदि विमुक्त किए गए अनुदान का उपयोग परियोजना में स्वीकृत मदों/कार्यक्रमों से भिन्न मदों में किया गया हो ।

ग) यदि संस्थान/संगठन अकार्यशील हो जाए अथवा अनुदान की अंतिम किस्त विमुक्ति के तीन साल के पूर्व संस्था अथवा कार्यक्रम बन्द हो जाए ।

4 समिति किसी विशेषज्ञ, संगठन को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेगी ।

5. अनुदान आवेदन, अनुमोदन के छः माह के अन्दर प्रथम किस्त विमुक्ति का आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने पर राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (SLEC) द्वारा परियोजना अस्वीकृत किया जा सकता है ।

6. संबंधित सदस्य अगर अति अपरिहार्य स्थिति में स्वतः भाग नहीं ले सकेंगे, तो विशेष रूप से प्राधिकृत पदाधिकारी को बैठक में भागीदारी हेतु अधिकृत करेंगे ।

7. मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्य (उद्योग) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

उदय प्रताप सिंह,

सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 571—50 ।